

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F29CCE / शिक्षा / पी / 2020 / 303

दिनांक 25.11.2020

समस्त नोडल प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : निजी महाविद्यालयों की कमीपूर्ति दस्तावेजों के प्रमाणन का प्रारूप

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत कमीपूर्ति दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेजों को निम्न प्रारूप में ब्यौरेवार प्रेषित करें।

1. कमीपूर्ति दस्तावेजों का विवरण :

क्रम संख्या	विभाग द्वारा प्रेषित कमीपूर्ति बिंदु	संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	निरीक्षण दल की स्पष्ट टिप्पणी / यदि प्रमाणन नहीं किया गया है तो स्पष्ट कारण
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

2. निरीक्षण दल का विवरण :

क्रम संख्या	नाम व पद नाम	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			



(डॉ. अल्पना व्यास)

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं)

प्रतिलिपि :

- समस्त निजी महाविद्यालय संस्था सचिव/अध्यक्ष/प्राचार्य को भेजकर लेख है कि वे कमीपूर्ति दस्तावेजों को नोडल प्राचार्य से उक्त प्रारूप में प्रेषित करवाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उक्त प्रारूप के अभाव में प्रेषित दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे।
- वेब प्रभारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड हेतु।



संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं)